न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी – सुश्री प्रियंका तलानिया आर.ए.एस.

अनवान –

1. रेशमा पत्नी श्री अदरीश माता नियामत पत्नी भम्भू खां जाति मुसलमान निवासी सरदारगढ तहसील सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.)

........वादिया.........

बनाम–

1. रोशनदीन पुत्र बहार खां जाति मुसलमान निवासी 12 किशनावाली ढाणी तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
2. अलादिता पुत्र बहार खां जाति मुसलमान निवासी सरदारगढ तहसील सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.)
3. बहार खां पुत्र सरदारं खां जाति मुसलमान निवासी सरदारगढ तहसील सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.)
4. सैयद पुत्री सरदारे खां पत्नी अकबर जाति मुसलमान निवासी सरदारगढ तहसील सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.)
5. फैजा पत्नी रांझा पुत्री सरदारे खां (फौत) जरिये वारिस

   5/1 फरीद खां पुत्र फैजा
   5/2 अजीत पुत्र फैजा
   5/3 कुरसेदा पुत्री फैजा
   5/4 सफेईया पुत्री फैजा
   5/5 रेशमा पुत्री फैजा

   } अकवाम मुसलमान निवासी सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़

6. सरफा पत्नी नूरमोहम्मद (फौत) जरिये वारिस :–
   6/1 असरफ पुत्र नूरमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़
7. रमजान पुत्री नियामत पत्नी भंभूखा जाति मुसलमान निवासी सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.)
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर।

.......प्रतिवादीगण........

उपस्थिति :– 1. श्री इकबाल हुसैन कुरैशी वकील वादिया
2. राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) श्रीविजयनगर।

(वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 183, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

प्रकरण संख्या –03/2016 | निर्णय दिनांक– 03.01.2019

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :–

लगातार......2

Priyanka
उप जिला कलेक्टर
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner

यह कि चक 19 एस.डी. की जमाबन्दी 2069 ता 2072 के खाता संख्या 56/81 के प.नं. 125/411 (47) के किला नं. 11 ता 13, 18 ता 23 में 2.977 हैक्टर व प.नं. 126/411 (48) के किला नं. 15 ता 17, 24, 25 में 1.265 हैक्टर, व प.न. 126/412 (65) किला नं. 5, 6, 15 में 0.759 हैक्टर व प.नं. 125/412 (66) का किला नं. 1 ता 3, 8 ता 13 में 2.7277 हैक्टर इस प्रकार कुल 6.578 हैक्टर रकबा कमाण्ड मय खाला जिसमें वादिया का 0.329 है. रकबा खातेदारी है व शेष रकबा प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम से हिस्सानुसार दर्ज है वादिया के रकबा का खाता विभाजन प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 से अच्छी मे से अच्छी व खराब मे से खराब भूमि का रास्ता व खाला की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किया जावे एवं वादिया के हिस्से मे आई भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को अतिक्रमी घोषित किया जाकर जरिये पुलिस वादिया को कब्जा दिलवाया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से वादिया को उसके हिस्से की भूमि का कब्जा प्राप्त करने तक 13 अप्रैल 2014 से कब्जा देने की दिनांक तक की अवधि का प्रतिवर्ष 16,000/- रूपये प्रति बीघा प्रति वर्ष के हिसाब से वादिया को ठेका राशि दिलवाई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया गया। बाद तामील प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4, 5/1 ता 5/3 व 6, 7 द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उपरोक्त के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 5/4 व 5/5 ने अपना इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर वादिया द्वारा चाहे गये अनुतोष के अनुसार वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन व मनन किया गया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार श्री विजयनगर को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। तहसीलदार श्री विजयनगर की ओर से पटवारी हल्का ने विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रस्ताव अनुसार चक 19 एस.डी. तहसील श्री विजयनगर का प.नं. 125/411(47) किला नं. 11 ता 13, 18 ता 23 = 2.277 है. कमाण्ड, प.न. 126/411(48) किला नं. 15 ता 17, 24, 25 = 1.265 है. कमाण्ड मय खाला, प.नं. 126/412(65) किला नं. 5, 6, 15 = 0.759 है. कमाण्ड मय खाला व प.नं. 125/412(66) किला नं. 1, 2 का 0.506 है., 3 का 0.177 है. , 9 ता 13 का 1.265 है. = 1.948 है. कमाण्ड कुल 6.249 है. (कमाण्ड 6.099 है. व खाला 0.150 है.) में रोशनदीन 1.771 है., अल्लादिता 1.518 है. पि. बहार खां, बहार खां पुत्र सरदारे खां, सैयिदा, फैजा, सरफा पुत्रियां सरदारे खां 2.631 है. रकबा हिस्सा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। तथा शेष रकबा चक 19 एस.डी. तहसील श्री विजयनगर का प.नं. 125/412(66) किला नं. 3 का 0.076 है. (पूर्व पासा), 8 का 0.253 है. = 0.329 है. कमाण्ड भूमि का रेशमा माता नियामत पत्नी भम्भू खां कौम मुसलमान सा. देह का हिस्सा प्रस्तावित किया है।

लगातार.......3

Priyanka
उप जिला कलेक्टर
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner

विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत होने पर पत्रावली वास्ते बहस मुकर्रर हुई। विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। वकील वादिया ने विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा डिक्री किया जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावलीका अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विभाजन प्रस्ताव एवं बहस के आधार पर वाद वादिया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

।। आदेश ।।

अतः वाद वादिया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। चक 19 एस.डी. तहसील श्री विजयनगर का प.नं. 125/412(66) किला नं. 3 का 0.076 है. (पूर्व पासा), 8 का 0.253 है. = 0.329 है. कमाण्ड भूमि का रेशमा माता नियामत पत्नी भम्भू खां कौम मुसलमान सा. देह को खातेदार काश्तकार घोषित कर डिक्री किया जाता है। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार भूमि विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करे तथा वादिया को विभाजन अनुसार कब्जा सुपुर्द करे।

आदेश आज दिनांक 03.01.19 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Priyanka

(प्रियंका तलानिया) RAS
उप खण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर